



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-465/2014 धारा-307,504,506 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तों 1.सोनू पुत्र गोपाल व 2.अमन पुत्र भूरे निवासी गण ग्राम व थाना ग्वालटोली, जनपद कानपुर नगर को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को ₹ 10,000-10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री महेश
द्विवेदी



विवेचक-
उ०नि० गौतम
कुमार



पैरोकार- थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव